

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/101615/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/24034/JD

दिनांक: 04-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AJAY REALCON INDIA LLP.** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO P-5 AND P-6, SECTOR -22D YAMUNA EXPRESS WAY, GREATER NOIDA** तहसील - **JEWAR** प्लॉट एरिया **44440.51 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **279517.820** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **14** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A 1	26	1	91.15 mt.
TOWER A 2	26	1	91.15 mt.
TOWER B1	26	1	91.15 mt.
TOWER B2	26	1	91.15 mt.
TOWER B3	26	1	91.15 mt.
TOWER B4	26	1	91.15 mt.
TOWER C1	26	1	91.15 mt.
TOWER C2	26	1	91.15 mt.
TOWER C3	26	1	91.15 mt.
TOWER C4	26	1	91.15 mt.
TOWER C5	26	1	91.15 mt.
TOWER C6	26	1	91.15 mt.
COMMUNITY CENTER 1	2	1	11.80 mt.
COMMUNITY CENTER 2	2	1	11.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AJAY REALCON INDIA LLP.** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AJAY REALCON INDIA LLP.** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : प्रश्रुत प्रस्तावित भूखण्ड का सही पता प्लॉट न0 पी0-5, एवं पी0-6, इन टी0एस0-02/ए0, सेक्टर-22 डी, यीडा गौतमबुद्धनगर है। अग्निशमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

11-12-2023

Ajay Realcon India LLP

Authorised Signatory

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-12-2023
स्थान : LUCKNOW